



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

SITTING NOTICE

फा.सं. NCST/DEV-5009/JH/88/2025-RU-IV

दिनांक : 11.09.2025

सेवा में,

1 डॉ. कुमार ताराचंद
उपायुक्त
जिला लोहरदगा
समाहरणालय,
लोहरदगा, झारखंड 835302

2 श्री सादिक अनवर रिज़वी
पुलिस अधीक्षक
जिला लोहरदगा
पुलिस अधीक्षक कार्यालय,
लोहरदगा, झारखंड 835302

विषय: प्रार्थी की खातियानी जमीन पर अवैध कब्जा हटवाने के संबंध में श्री -शिवराज उराँव, ग्राम व थानाभण्डरा-, जिला लोहरदगा-
का दिनांक (झारखण्ड)23.04.2025 का पत्र।

संदर्भ: आयोग का नोटिस दिनांक 29.05.2025 (प्रतिलिपि संलग्न)

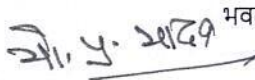
महोदय,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है।

2. डॉ आशा लकड़ा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषककी जांच/ जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, सम्मेलन कक्ष, 6 वीं मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में दिनांक **18.09.2025 को 05:40 PM** बजे सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से और माननीया सदस्य के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड 8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

 भवदीय

योगेंद्र प्र. यादव / Yogendra P. Yadav
उप सचिव / Deputy Secretary
E.mail ID: rahul.1424@ncst.nic.in

प्रति, सिटिंग में उपस्थित होने के लिए सूचनार्थ:

Shri Shivraj Oraon,
Gram Bhandra,
Thane Bhandra Jila Lohardaga,
Loherdaga, Jharkhand
Mobile No:8825314153

(ii) PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)

(iii) NIC for uploading



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

NOTICE

फा. सं.: NCST/DEV-5009/JH/88/2025-RU-IV

दिनांक: 29/05/2025

1. जिलाधिकारी
जिला-लोहरदगा
समाहरणालय,
लोहरदगा, झारखंड 835302

2. जिला पुलिस अधीक्षक
जिला-लोहरदगा
पुलिस अधीक्षक कार्यालय,
लोहरदगा, झारखंड 835302

विषय: प्रार्थी की खातियानी जमीन पर अवैध कब्जा हटवाने के संबंध में - श्री शिवराज उराँव, ग्राम व थाना-भण्डरा, जिला-लोहरदगा (झारखण्ड) का दिनांक 23.04.2025 का पत्र।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को Shivraj Oraon से दिनांक 23/04/2025 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है, अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबन्धित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग को आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' जारी कर सकता है।


(एच.आर. मीना/H.R.Meena)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer
ई-मेल: hari.rammeena@ncst.nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

Shri Shivraj Oraon,
Gram Bhandra,
Thane Bhandra Jila Lohardaga,
Loherdaga, Jharkhand
Mobile No:8825314153

S.M.C 9627-9629

O/C

दस्तावेज 3-6-2025
जारी किया
ISSUED

27/04/2025

दिनांक : 23-04-2025

सेवा में,

श्री अन्तर सिंह आर्या

अध्यक्ष ,

अनुसूचित जनजाति आयोग,

भारत सरकार, नई दिल्ली।

विषय: झारखण्ड राज्य के लोहरदगा जिला के भण्डरा प्रखण्ड के भण्डरा गांव में मेरा खतियानी जमीन का खाता संख्या – 145, प्लॉट संख्या-1519, 1521 पर से अवैध कब्जा हटवाने के संबंध में।

महाशय,

सविनय निवेदन है कि मैं शिवराज उराँव, पिता-स्वर्गीय सोमे उराँव, ग्राम-भण्डरा, थाना-भण्डरा, जिला-लोहरदगा का स्थायी निवासी हूँ तथा मेरा आधार संख्या-7354 9374 6929 है।

महाशय से उक्त विषय में कहना है कि मेरा जमीन जिसका खाता संख्या-145, प्लॉट संख्या-1519, 1521, रकबा-0.10 डिसमिल है, जो कि हमारे दादा-भण्डरा उराँव, देवठनिया उराँव वगैरह के नाम से वर्ष 1989 ई० के सर्वे खतियान में दर्ज है एवं वर्ष 1932 के खतियान में भी खाता संख्या-22 पर दर्ज है एवं वर्तमान के पंजी-II में मेरे दादा भण्डरा उराँव, देवठनीया उराँव वगैरह के नाम से दर्ज है एवं अभी तक मालगुजारी रसीद कट रहा है।

महाशय से उक्त विषय में यह भी कहना है कि उक्त जमीन को श्री अमोद प्रसाद साहू एवं उनका भाई कृष्णा साहू पिता-शिव प्रसाद साहू, ग्राम-छोटा अम्बेरा, पोस्ट-ईरगाँव, थाना-भण्डरा, जिला-लोहरदगा के द्वारा जोर-जबरजस्ती कब्जा करके उक्त जमीन पर वर्ष 2018 से होटल चलाया जा रहा है, तब से हमलोग परेशान हैं। कभी थाना का चक्कर काट रहे हैं तो कभी अंचल कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं और जब हमलोग खाली करने का बात उनलोगों से करते हैं तो वे लोग हमलोगों को गाली-गलौज करते हैं और मार-पीट करने लगते हैं एवं जान से मारने की धमकी भी दिया जाता है।

यह कि, अमोद प्रसाद साहू, एवं उनका भाई कृष्णा साहू पिता-शिव प्रसाद साहू दोनों भाई का कहना है कि यह जमीन को हमलोग तुम्हारे बड़े बाबा जट्टु उराँव से 99 साल के लिए खरीद लिये हैं एवं यहाँ दुबारा जमीन माँगने आया तो मार देंगे, थाना-पुलिस, जहाँ जाना है जाओ, हमलोगों को कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। यदि ज्यादा हमलोगों को परेशान करोगे तो जान से हाथ भी धोना पड़ सकता है। यह कहकर बार-बार हमलोगों को धमकी दिया जाता है।

अतः महाशय से निवेदन है कि हमलोग एक आदिवासी परिवार से आते हैं और हमलोगों के पास अधिक जमीन भी नहीं है। रोड किनारे में इसके अलावा जमीन ही नहीं है जो कि हमलोग छोटा-मोटा दुकान खोलकर अपना जीवन-यापन कर सके। हमलोगों की आर्थिक स्थिति भी दयनीय है, जिसके कारण हमलोग अमोद साहु एवं कृष्णा साहु पिता-शिव प्रसाद साहु से कोट-कचहरी में भी लड़ने में सक्षम नहीं है। इसलिए श्रीमान् से प्रार्थना है कि हमलोगों का जमीन पर से अवैध कब्जा हटाकर हमलोगों को हमारी जमीन वापस दिलाने की कृपा करें।

इस कार्य के लिए हमसभी परिवार के सदस्यगण आपके सदैव आभारी बने रहेंगे।

आपका विश्वासी
शिवराज उराँव
23/04/2025

(शिवराज उराँव)

पिता-स्व० सोमे उराँव,

ग्राम-भण्डरा, थाना-भण्डरा,

जिला-लोहरदगा।

मोबाईल नं०- 7250528254

8825314153